कार्यालय नगर निगम ग्रेटर, जयपुर

दुकान/कियोस्क की नीलामी शर्ते

1. दुकान साईज 10X10 की न्युनतम बोली राशि रू. 51.00 लाख प्रति दुकान एवं कियोस्क साईज 8X8 की न्युनतम बोली राशि रू. 27.00 लाख प्रति कियोस्क होगी।
2. अमानता राशि दुकान/कियोस्क हेतु निर्धारित न्युनतम राशि की 2 प्रतिशत होगी।
3. नीलामी में भाग लेने के लिए पंजीयन शुल्क 1000/-रू. प्रति वर्ष निर्धारित किया गया।
4. भागीदारी शुल्क रू. 5000/- प्रति दुकान/कियोस्क होगा।
5. व्यावसायिक योजना में नीलाम किये जाने वाले समस्त दुकान/कियोस्क वार्षिक शहरी जमाबन्दी, लीज होल्ड बेसिस पर विक्रय होगें तथा इनकी समयावधि 99 वर्ष होगी।
6. नीलामी बोली में भाग लेने वाले इच्छुक खरीददार को कार्यवाही प्रारम्भ होने से पूर्व विज्ञप्ति में अंकित अमानता राशि व भागीदारी शुल्क (प्रति दुकान/कियोस्क) ऑनलाईन नगर निगम ग्रेटर, जयपुर की वेबसाईट www.jaipurmc.org पर जमा करानी होगी तथा बिना अमानता राशि जमा कराये किसी भी व्यक्ति को बोली लगाने का अधिकार नहीं होगा। सर्वोच्च बोलीदाता की अमानता राशि का समायोजन 85 प्रतिशत राशि में कर लिया जावेगा तथा अन्य व्यक्तियों को अमानता राशि वापिस लौटा दी जावेगी।
7. जिस व्यक्ति की नीलामी में उच्चतम बोली प्राप्त होगी, उसे उच्चतम बोली की 15 प्रतिशत राशि बोली समाप्ति के आगामी तीन कार्य दिवस तक नगर निगम ग्रेटर, जयपुर कार्यालय में जमा करानी होगी, जो नगद/बैकर्स चैक/डीडी या चैक द्वारा जमा कराई जा सकेगी। अमानता राशि के अलावा नीलामी की 15 प्रतिशत राशि चैक से जमा करवाये जाने पर, चैक अनादरित होने की स्थिति में नीलामी स्वतः ही निरस्त हो जायेगी एवं बोलीदाता की जमा राशि जब्त हो जायेगी। इसके लिए पृथक से स्वीकृति या आदेश की आवश्यकता नहीं होगी। यदि बोली समाप्ति के आगामी तीन कार्य दिवस तक 15 प्रतिशत राशि बोली दाता द्वारा जमा नहीं कराई गयी तो अमानता राशि तुरन्त जब्त कर ली जावेगी एवं दुकान/कियोस्क को पुनः नीलाम करने की कार्यवाही की जावेगी।
8. 15 प्रतिशत राशि जमा कराने का अर्थ नगर निगम ग्रेटर, जयपुर की स्वीकृति नहीं है। प्राप्त सर्वोच्च नीलामी बोली की स्वीकृति सक्षम अधिकारी, नगर निगम ग्रेटर, जयपुर के निर्णय के अध्याधीन होगी। बोली अस्वीकृत किए जाने पर 15 प्रतिशत राशि बिना किसी ब्याज के 30 दिवस में वापस कर दी जावेगी।
9. (I) दुकान/कियोस्क जहां है, जैसा है के आधार पर विक्रय किया जायेगा। कियोस्क के Erection हेतु खाली स्थान उपलब्ध करवाया जायेगा। क्रेता नीलामी से पूर्व अपनी पूर्णरूपेण सन्तुष्टी कर ले।
10. दुकान/कियोस्क की उच्चतम बोली स्वीकार कर लिए जाने पर तथा नीलामी की पुष्टि स्वीकृत किये जाने पर कार्यालय से मांग पत्र जारी होने की दिनांक से 30 दिवस की समयावधि के भीतर क्रेता को शेष 85 प्रतिशत राशि नगर निगम ग्रेटर, जयपुर के कोष में जमा करानी होगी। यदि उक्त अवधि में राशि निगम कोष में जमा नहीं कराई जाती है तो जमा राशि नगर निगम ग्रेटर, जयपुर द्वारा जब्त कर ली जावेगी तथा दुकान/कियोस्क का बेचान स्वतः ही निरस्त हो जावेगा एवं निगम ऐसे दुकान/कियोस्क को पुनः नीलाम कर सकेगा एवं राजस्थान नगरपालिका शहरी भूमि निष्पादन नियम 1974 के अनुसार कार्यवाही की जावेगी।
11. जिस व्यक्ति की उच्चतम बोली स्वीकार की जावेगी उसे दुकान/कियोस्क का कब्जा उसी दशा में दिया जावेगा, जबकि वह बोली की सम्पूर्ण राशि निगम कोष में निश्चित् समयावधि के भीतर जमा करा देगा। सम्पूर्ण राशि जमा होने के पश्चात् क्रेता को 7 दिवस में सम्बन्धित अधिकारी से कब्जा प्राप्त करना होगा, अन्यथा उसकी स्वयं की जिम्मेदारी होगी एवं कब्जा प्राप्त कर लिया माना जावेगा। लीज की गणना कब्जा पत्र जारी होने की तिथि से की जावेगी।
12. नीलामी की सम्पूर्ण राशि जमा हो जाने पर क्रेता को निर्धारित शुल्क 200/-रू. प्रति दुकान/कियोस्क का साईट प्लान जारी किया जायेगा।

13. दुकान/कियोस्क का प्रयोग उसी कार्य हेतु किया जावेगा जिस कार्य हेतु विक्रय किया गया है तथा अन्य किसी कार्य के उपयोग में नहीं लाया जायेगा।
14. दुकान/कियोस्क की वार्षिक शहरी जमाबन्दी आवासीय आरक्षित दर की 5 प्रतिशत होगी। प्रत्येक 15 वर्ष की उत्तरोतर अवधि के अन्त में एवं दुकान/कियोस्क के प्रत्येक बार हस्तान्तरण पर दोहराई जा सकेगी, किन्तु वह 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।
15. क्रेता को शहरी जमा बन्दी की राशि प्रत्येक वर्ष 31 मार्च तक अग्रिम जमा करानी होगी। समय पर राशि जमा न कराने पर 15 प्रतिशत वार्षिक ब्याज देय होगा। क्रेता को नगर निगम ग्रेटर, जयपुर के हित में परपिचुअल लीज तहरीर व तकमील कराना होगा तथा उसकी रजिस्ट्री करानी होगी। जिसका खर्चा क्रेता स्वयं वहन करेगा।
16. दुकान/कियोस्क पर क्रेता शहरी जमाबन्दी के अतिरिक्त नियमानुसार नगरीय विकास कर एवं अन्य सरकारी/अर्द्ध सरकारी कर को अदायगी करने हेतु बाध्य होगा।
17. क्रेता यदि वार्षिक शहरी जमाबन्दी की राशि अथवा उसका कोई अंश समय पर नगर निगम ग्रेटर, जयपुर कोष में जमा नहीं करायेगा तो उसे ऐसी अवस्था में निगम को बकाया राशि "राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के प्रावधानों के अन्तर्गत "वसूल करने का अधिकार होगा। नगर निगम ग्रेटर, जयपुर बकाया राशि "लैण्ड रेवेन्यू" राशि की बकाया के तौर पर "दी पब्लिक डिमाण्ड रिकबरीज" के प्रावधानों के अन्तर्गत वसूल करने के लिये सक्षम होगा। इसके अतिरिक्त नगर निगम ग्रेटर, जयपुर बकाया राशि वसूलने के लिये राजस्थान सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम 1964 के प्रावधान के अन्तर्गत सम्पदा अधिकारी के न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर वसूली की कार्यवाही करने हेतु वाध्य होगा।
18. क्रेता तत्समय प्रचलित एवं भविष्य में प्रसारित होने वाले राज्यादेशों के निर्णय तथा निगम द्वारा जारी किये जाने वाले निर्देशों की पालना करने हेतु पूर्णतः बाध्य होगा।
19. क्रेता उपरोक्त वर्णित शर्तो में से किसी भी शर्त का यदि उल्लंघन करता है तो नगर निगम ग्रेटर, जयपुर को यह पूर्ण अधिकार होगा कि वह विक्रय किये गये दुकान/कियोस्क को निरस्त कर कब्जा प्राप्त कर लें एवं यदि उचित समझें तो उसे पुनः नीलाम करें एवं क्रेता द्वारा जमा कराई गयी सम्पूर्ण राशि जब्त कर लें।
20. दुकानो/कियोस्क में छत का स्वामित्व नगर निगम, ग्रेटर, जयपुर का होगा।
21. नीलामी कार्यवाही को किसी भी समय स्वीकार/अस्वीकार कर नीलामी निरस्त किये जाने का पूर्ण अधिकार नगर निगम ग्रेटर, जयपुर को होगा।
22. उपरोक्त शर्तो में किसी भी समय परिवर्तन/अपरिवर्तन करने का पूर्ण अधिकार नगर निगम ग्रेटर, जयपुर को होगा।
23. अन्तिम समय के 5 मिनट के दौरान बोली आने पर बोली का समय स्वतः 5 मिनट बढ जायेगा।
24. ऑनलाईन प्रक्रिया में Incremental Value न्यूनतम राशि 10,000/– रू है।
25. भूखण्ड नीलामी राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 एवं राजस्थान नगर पालिका (शहरी भूमि निष्पादन नियम) 1974 एवं विभागीय आदेशों ओर परिपत्रों के अध्ययधीन होगी।
26. नीलामी के संबंध में निर्णय का अन्तिम अधिकार महापौर एवं आयुक्त नगर निगम ग्रेटर, जयपुर का होगा।

सहायक लेखाधिकारी (द्वितीय)
नगर निगम ग्रेटर, जयपुर

राजस्व अधिकारी (राजस्व–द्वितीय)
नगर निगम ग्रेटर, जयपुर

उपायुक्त (राजस्व–द्वितीय)
नगर निगम ग्रेटर, जयपुर